[2014] 10 एस.सी.आर. 812

मोफिल खान एवं अन्य

बनाम झारखंड राज्य

(सिविल अपील संख्या 1795/2009)

9 अक्टूबर, 2014

[एच.एल. दत्तू, मुख्य न्यायाधीश, आर.के. अग्रवाल एवं

अरुण मिश्रा, न्यायाधीश]

दण्ड/ दण्डारोपण :

हत्या --- दण्ड /दण्डारोपण नीति--- *निर्धारित* : ***दण्डारोपण*** *नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र विचार करना और ऐसा दंड समाधानित करना है जो अभियुक्त के दण्डयता के लिए सबसे उपयुक्त और विवेकशील हो - हालात की संगीनी और शिद्दत में कमी का इन्तिख़ाब - "दुर्लभ में से दुर्लभतम" का सिद्धांत हत्याओं को जघन्य या कम जघन्य की श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है - दोनों के बीच अंतर सिद्धांतों की पहचान में नहीं है, बल्कि मुन्फ़रिद हालात में उन्हें लागू करने के दायरे में निहित है - गंभीरता की सजाएँ अपराध की गंभीरता को दर्शाने, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने, अपराध के लिए उचित दण्ड प्रदान करने, आपराधिक आचरण के लिए पर्याप्त निवारक प्रदान करने और समुदाय को आगे इसी तरह के आचरण से बचाने के लिए लगाई जाती हैं - यह तीन तह (फ़ोल्ड) में उद्देश्य पूरा करती है - दंडात्मक, निवारक और सुरक्षात्मक - यह केवल अपराध के पीड़ितों को ही सुखदायक मरहम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परिवार, परिवार जैसे आकस्मिक पीड़ितों को भी इसकी आवश्यकता है। सह-पीड़ितों और अपेक्षाकृत बड़ी हद तक समाज को भी - न्यायपालिका का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा अपराधियों के अधिकारों की तरह ही तत्परता से करे - दंड प्रक्रिया संहिता,* 1973 - *धारा* 354(3)*।*

सजा/दंड:

हत्या - आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के लोगों की हत्या करना - निचली अदालतों द्वारा मृत्युदंड -

निर्धारित किया गया: अपराध करने का समय, स्थान और तरीका आरोपी-अपीलकर्ताओं के उद्देश्य को दर्शाता है - उन्होंने बिना किसी उकसावे के कुछ पासबुक, धन और अचल संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अपने ही परिजनों की बेरहमी से और क्रमिक रूप से हत्या की है - तेज धार वाले हथियारों से लैस होकर, जिस तेजी से आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपने परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की, वह उनके कृत्य को पूर्व नियोजित बताता है और यह दर्शाता है कि किस निर्दयी तरीके से इस क्रूर इरादे को अंजाम दिया गया - उनके पश्चाताप की कमी इस बात से झलकती है कि उन्होंने घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, अगर उन्होंने पुलिस को सूचित करने की हिम्मत की - जिन परिस्थितियों में अपीलकर्ता शरण चाहते हैं, वे न्यायालय को आश्वस्त करने में विफल रही हैं - न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, "दुर्लभतम अपराध" ऐसा दुर्लभ मामला तब होता है जब कोई अभियुक्त समाज में खतरा, धमकी और सद्भाव के लिए प्रतिकूल हो - खासकर ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त उकसावे पर काम नहीं करता, बल्कि क्षणिक आवेश में आकर जानबूझकर अपराध को अंजाम देता है, बावजूद इसके कि उसे अपने कृत्य के संभावित परिणाम का पता नहीं है, मृत्युदंड सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है - सजा के आनुपातिकता के सिद्धांत या जिसे "न्यायसंगत सजा" कहा जाता है, को ध्यान में रखते हुए, जिसमें चार निर्दोष नाबालिगों और एक शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे सहित आठ लोगों की हत्या करके एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, अपीलकर्ता के अपराध की भ्रष्टता के लिए मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जाएगी

महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1987 (2) एससीआर710–(1987)3 एस.सी. सी 80-- पर अवलंबन

सुनील दत्त शर्मा बनाम स्टेट (गवर्मेंट औफ एन.सी. .टी औफ दिल्ली) 2013(9) एस.सी.आर. 1000 = (2014) 4 एससीसी 375---निर्धारित - अप्रयोज्य

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 (2) एससीआर 541=(1973) 1एससीसी 20 और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684, मच्छी सिंह एंव अन्य बनाम पंजाब राज्य 1983 (3) एससीआर 413=(1983)3 एससीसी 470, अजीतसिंह हरनाम सिंह गुजराल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011(13) एस सी आर 1000=(2011) 14 एससीसी 401, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सत्तन उर्फ सत्येन्द्र एंव अन्य. 2009(3) एससीआर 643=(2009) 4

एससीसी 736,. गोविंदासामी बनाम तामिलनाडु राज्य 1998 (2) एससीआर 1135= (1998) 4 एससीसी 531, अतबीर बनाम गवर्मेंट (एन.सी.टी औफ दिल्ली) 2010 (9) एससीआर 993=(2010) 9 एससीसी 1, अजय कुमार पाल बनाम झारखंड राज्य, (2010) 12 एससीसी 18, शोभित चमार बनाम बिहार राज्य 1998 (2) एससीआर 117=(1998) 3 एससीसी 455, सुन्दर सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य 2010 (11) एससीआर 927–(2010) 10 एससीसी 611, सी.मुनीअप्पन बनाम तामिल नाडु राज्य, 2010 (10) एससीआर 262=(2010) 9 एससीसी 495, प्रजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2008 (5) एससीआर एस969=(2008) 4 एससीसी 434, राम सिंह बनाम सोनिया,(2007) 2 एससीआर 651=(2,007) 3 एससीसी 1, होलीराम बोरडोली बनाम असम राज्य 2005 (3) एससीआर 760–(2005)3 एससीसी 793, साइबन्ना बनाम कर्नाटका राज्य 2005 (3) एससी आर 760–(2005) 4 एससीसी 165, करन सिंह बनाम यू.पी. राज्य, (2005) 6 एससीसी 342, राजस्थान राज्य बनाम खेरज राम,2003 (2) अनुपूरक एससीआर 861–(2003 8) एससीसी 224, ओम प्रकाश बनाम उत्तरांचल राज्य, 2002 (4) अनुपु. एस सीआर 623–(2003) 1 एससीसी 648, प्रवीन कुमार बनाम कर्नाटक राज्य (2003)12 एससीसी 199, सुरेश बनाम उ.प्र.राज्य, 2001 (2) एससीआर 263= (2001) 3 एससीसी 673, रामदेव चौहान बनाम असम राज्य, 2000 (2)अनुपु. एससीआर 28–(2000) 7 एससीसी 455, नारायन चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य---2000 ((3) अनुपु. एससीआर 104 -(2000)8 एससीसी 457, यू.पी.राज्य बनाम धर्मेन्द्र सिंह 1999(3) अनुपु. एससीआर 52=(1999)8 एससीसी 325, रोन्नी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1998 (2) एससीआर 162=(1998)3 एससीसी 625, सूरजा राम बनाम राजस्थान राज्य, 1996(6) अनुपु. एससीआर 783=(1996)6 एससीसी 271, हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (14) एससीआर 921=(2011)12 एससीसी 56, रबीन्द्रा कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य 2011 (6) एससीआर 1104=(2011)2 एससीसी 490, सुरेन्द्र कोली बनाम यू.पी.राज्य एंव अन्य. (2011)4 एससीसी 80 और सुदाम उर्फ राहुल कनीराम जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2011 (6) एससीआर 1104–(2011) 7 एससीसी 125, बिरजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 (1) एससीआर 1047=(2014)3 एससीसी 421; महेश धनाजी शिंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014)4 एससीसी 92; सुशील शर्मा बनाम स्टेट औफ एन.सी.टी, दिल्ली, (2014)4 एससीसी 317; अनीत उर्फ अंथोनी अरिक स्वामी जोसेफ़ बनाम महाराष्ट्र राज्य,2014 (3) एससीआर 34=(2014)4 एससीसी 69; महाराष्ट्र राज्य बनाम गोरक्शा अम्बाजी अदसुल, 2011 (9) एससीआर 41=(2011) 7 एससीसी 437; ब्रजेन्द्रसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2012 (3) एससीआर 599=(2012)4 एससीसी 289, धनन्जोय चटर्जी उर्फ धन्ना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 (1)एससीआर 37=(1994) 2 एससीसी 220, रत्तन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 (1) एससीआर 846–(1979)4 एससीसी 719, सेवका पेरुमल बना टी.एन. राज्य 1991 (2) एससी आर 711= (1991)3 एससीसी 471----------निर्दिष्ट निर्णय.

1973 (2) एससीआर 541	निर्दिष्ट	पारा 17
(1980) 2 एससीसी 684,	निर्दिष्ट	पारा 17
1983 (3) एससीआर 413–	निर्दिष्ट	पारा 17
2011(13) एस सी आर 1000–	निर्दिष्ट	पारा 21
2009 (3) एससीआर 643	निर्दिष्ट	पारा 22
1998 (2) एससीआर 1135	निर्दिष्ट	पारा 23
2010 (9) एससीआर 993	निर्दिष्ट	पारा 24
(2010) 12 एससीसी 118	निर्दिष्ट	पारा 25
1998 (2) एससीआर 117	निर्दिष्ट	पारा 26
(2010) (11) एससीआर 927	निर्दिष्ट	पारा 27
2010 (10) एससीआर 262	निर्दिष्ट	पारा 28
2009 (14) एससीआर 727	निर्दिष्ट	पारा 29
2008 (5) एससीआर 969	निर्दिष्ट	पारा 30
2007 (2) एससीआर 651	निर्दिष्ट	पारा 31
2005 (3) एससीआर 406	निर्दिष्ट	पारा 32
2005 (3) एससीआर 760	निर्दिष्ट	पारा 33
2005 (6) एससीसी 342	निर्दिष्ट	पारा 34
2003 (2) सप्ली. एससीआर 861	निर्दिष्ट	पारा 35
2002 (4) सप्ली. एससीआर 623	निर्दिष्ट	पारा 36

2003 (12) एससीसी 199	निर्दिष्ट	पारा 37
2001 (2) एससीआर 263	निर्दिष्ट	पारा 38
2000 (2) सप्ली. एससीआर 28	निर्दिष्ट	पारा 39
2000 (3) सप्ली. एससीआर 104	निर्दिष्ट	पारा 40
1999 (3) सप्ली. एससीआर 52	निर्दिष्ट	पारा 41
1998 (2) सप्ली. एससीआर 162	निर्दिष्ट	पारा 42
1996 (6) सप्ली. एससीआर 783	निर्दिष्ट	पारा 43
2011 (14) एससीआर 921	निर्दिष्ट	पारा 44
2011 (6) एससीआर 1104	निर्दिष्ट	पारा 44
2011 (2) एससीआर 939	निर्दिष्ट	पारा 44
2013 (9) एससीआर 1000	निर्धारित - अप्रयोज्य	पारा 47
2014 (1) एससीआर 1047	निर्दिष्ट	पारा 48
(2014) (4) एससीसी 292	निर्दिष्ट	पारा 49
(2014) 4 एससीआर 317	निर्दिष्ट	पारा 50
2014 (3) एससीआर 34	निर्दिष्ट	पारा 51
2011 (9) एससीआर 41	निर्दिष्ट	पारा 52
2012 (3) एससीआर599	निर्दिष्ट	पारा 53
1994 (1) एससीआर 37	निर्दिष्ट	पारा 57
1980 (1) एससीआर 846	निर्दिष्ट	पारा 58
1987 (2) एससीआर 710	अवलंबित	पारा 60

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिताः दाण्डिक अपील सं. 1795 वर्ष 2009

झारखंड उच्च न्यायालय द्वार मृत्यु सं संदर्भ सं.01 वर्ष 20(08 साथ दाण्डिक अपील सं. (डी.बी.) सं. 1103 वर्ष 2008 में पारित निर्णय एंव आदेश तारीख़ 02.07.2009 से (उद्भूत)

अपीलार्थी की ओर से --बिमल रॅय जाड (ए.सी.)

उत्तरवादी की ओर से–रतन कुमार चौधरी, जायेश गौरव

न्यायालय का आदेश उद्घोषित

<u>आदेश</u>

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा मृत्यु संदर्भ संख्या 01/2008 और आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1103/2008, दिनांक 02.07.2009 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा सत्र परीक्षण(सेशन ट्रायल) संख्या 128/2007 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय, दिनांक 01.08.2008 की पुष्टि की है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपी-अपीलकर्ताओं और दो अन्य को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, “आईपीसी ”) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 449 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 05.08.2008 के मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि करते हुए, अन्य दो अभियुक्तों, सद्दाम खान और वकील खान को दी गई सजा को आजीवन कारावास में उपांतरित करना उचित समझा।

2. शुरू में, दोनों आरोपी-अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र (अमीकस), श्री बिमल रॉय जाद ने केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए सजा के आदेश पर आपत्ति जताई और अपने तर्कों को सजा की मात्रा तक सीमित रखा है। इसलिए, इस अपील का दायरा आरोपी-अपीलकर्ताओं को दी जाने वाली उचित सजा के निर्धारण तक सीमित है। इसके अलावा, चूंकि इस मामले में अन्य आरोपी व्यक्ति हमारे समक्ष अपील में नहीं हैं, इसलिए आगे की चर्चा वर्तमान अपील के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्य तक ही सीमित रहेगी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 06.06.2007 को लगभग 8:30 बजे (रात), हनीफ खान (जिसे आगे "मृतक" कहा जाएगा) झारखंड के गांव मकन्दू में मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। आरोपी-अपीलकर्ता और अन्य, जो मृतक के भाई और भतीजे के अलावा और कोई नहीं हैं, उसके पास पहुंचे और तलवार, टांगी, भुजाली और कुदाल जैसे धारदार हथियारों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मृतक ने आरोपियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतक को घटनास्थल पर छोड़कर, आरोपी-अपीलकर्ता और अन्य मृतक के घर की ओर बढ़े, जहां अपने पिता की चीख सुनकर मृतक के बेटे गुफरान खान उर्फ पाला और इमरान खान सड़क पर आ गए थे। आरोपी-अपीलकर्ताओं ने दोनों निहत्थे भाइयों पर उपरोक्त हथियारों से हमला किया, इसके बाद, आरोपी-अपीलकर्ता और अन्य लोग मृतक के घर में घुसे और मृतक की पत्नी कसुमन बीबी और उसके चार बेटों, अनीश खान (उम्र लगभग 5 वर्ष), दानिश खान (उम्र लगभग 8 वर्ष), यूसुफ खान (शारीरिक रूप से विकलांग और उम्र लगभग 18 वर्ष) और महेरबान खान (उम्र लगभग 12 वर्ष) की हत्या कर दी। छह लोगों की हत्या करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं ने घर के अन्य सदस्यों, जिसमें उनकी मां जैनूब खातून (पीडब्लू-2) भी शामिल थी, को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में बताया तो उनका भी यही हश्र होगा और उसके बाद जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज, पास-बुक, आभूषण आदि लेकर घर से चले गए।

4. दिनांक 07.06.2007 को लगभग 6:00 बजे सुबह मृतक के पिता गफ्फार खान (पीडब्लू-1) को सूचना मिलने पर वह गांव पहुंचे और देखा कि मृतक का शव मस्जिद में पड़ा है, उनके पोते गुफरान खान उर्फ पाला और इमरान खान के शव घर के सामने पड़े हैं और उनकी बहू कसुमन बीबी और उनके चार बेटों के शव घर के अंदर पड़े हैं। वहां उनकी पत्नी पीडब्लू-2 ने उन्हें बताया कि किस तरह अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपराध किया है। इसी बीच गांव के चौकीदार ने पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी, जिस पर स्टेशन डायरी में सनहा दर्ज किया गया और थाना प्रभारी (अधिकारी), शंभू नाथ सिंह (पीडब्लू-13) घटनास्थल पर पहुंचे और सूचक पीडब्लू-1 का फर्दबयान दर्ज किया। इसके बाद, थाना कांड संख्या 80/2007 दर्ज किया गया और प्राथमिकी लिपिबध्द की गई। पुलिस अधिकारियों ने तफ़शीश की और आठों मृतकों के शवों की अन्विक्षा तैयार कर अन्विक्षा रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे तफ़शीश के दौरान, जांच अधिकारी को तीनों घटनास्थलों पर खून से सनी मिट्टी मिली, और मस्जिद से खून से सनी एक प्लास्टिक की चटाई और एक अन्य आरोपी व्यक्ति-करीमन खान उर्फ करी खान के घर से खून से सनी टांगी बरामद की और उन्हें प्रदर्श के तौर पर जब्त कर लिया।

5. घटना की उत्पत्ति आरोपी-अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच संपत्ति विवाद से हुई है।

6. तफ़्शीश पूरी होने पर आरोपी-अपीलकर्ताओं और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपने दोष से इनकार किया और इस प्रकार, मामले को ट्रायल के लिए सौंप (कोमिट) कर दिया गया।

7. अभियोजन पक्ष ने, चश्मदीद गवाह पीडब्लू-2 सहित, 13 गवाहों का परिक्षण कराया है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से 9/5 (sic) भी पेश किए हैं और भौतिक वस्तुओं को 'I' और 'II' के रूप में चिह्नित कराया है, जबकि बचाव पक्ष ने 4 गवाहों का परिक्षण कराया है और प्रदर्श 'A' से 'E' को साक्ष्य के रूप में चिह्नित कराया है।

8. पी.डब्लू.-1 मृतक हनीफ खान और आरोपी अपीलकर्ताओं का पिता है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी न होते हुए भी उसने पक्षों के बीच विवाद की उत्पत्ति के संबंध में गवाही दी है और पी.डब्लू.-2 के कथन का समर्थन किया है। पी.डब्लू.-2 मृतक हनीफ खान की मां है और घटना के समय घर के दूसरे कमरे में मौजूद थी, इसलिए वह प्रत्यक्षदर्शी है। उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को घटना के क्रम, आरोपी अपीलकर्ताओं की पहचान और पक्षों के बीच विवाद की उत्पत्ति के संबंध में गवाही दी है। पी.डब्लू.-3 और पी.डब्लू.-6 स्वतंत्र गवाह हैं जो घटना के समय मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे और पी.डब्लू.-5 मस्जिद का इमाम है जिसने घटना को देखा। उनके परिसाक्ष आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक हनीफ खान पर तलवार और भुजाली से अंधाधुंध हमला करने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। पीडब्लू-4 उसी गांव का निवासी है और उसने गवाही दी है कि आरोपी-अपीलकर्ता उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को गांव में मौजूद था और दूसरे गांव में आयोजित विवाह समारोह में भाग नहीं लिया, जहां पीडब्लू-1 सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। मृतक हनीफ खान के पड़ोसी पीडब्लू-7 ने मृतक के घर के सामने उसके दो बेटों पर तलवार और भुजाली से हमला करने के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि की है। शवों का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक पीडब्लू-8 ने मृतक व्यक्तियों को लगी चोटों के कारण मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में आघात और रक्तस्राव को मौत का कारण बताया है।

9. बचाव में आरोपी-अपीलकर्ताओं ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

10. तथ्यों को क्रमबंधन करते हुए और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि तलवार और भुजाली से लैस आरोपी-अपीलकर्ता अन्य व्यक्तियों के साथ मस्जिद में घुसे और मृतक की हत्या कर दी, उसके घर के सामने उसके दो बेटों को मार डाला और फिर घर में घुस गए जहां उन्होंने उसकी पत्नी और चार नाबालिगों पर हमला किया जिसमें एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी शामिल था, जिससे उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा बचाव में दिए गए तर्क को खारिज कर दिया और पीडब्लू-4 के परिसाक्ष्य के मद्देनजर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को

गांव में उनकी मौजूदगी स्थापित की। इसके अलावा, कोर्ट ने एकमात्र चश्मदीद गवाह पीडब्लू-2 की गवाही को विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया। इसलिए, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के इरादे रिकॉर्ड से स्पष्ट होने, लगातार हत्याओं की स्पष्ट पूर्व-योजना और उक्त निर्दयी योजना को अंजाम देने के लिए उस दिन का चयन करने के मद्देनजर जब गांव के निवासी एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे, अदालत ने आठ लोगों की हत्या में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के अपराध का निष्कर्ष निकाला है और उन्हें आईपीसी की धारा 302 और 449 के साथ धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है । उन्हें सजा सुनाते समय, ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा देने के लिए गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों को दर्ज किया है।

11. उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, आरोपी-अपीलकर्ताओं ने दो अन्य लोगों के साथ आपराधिक अपील (डी.बी) संख्या 1103/2008 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

12. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में कोई गलती नहीं की है और तदनुसार जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, निचली अदालत के फैसले और आदेश की पुष्टि की है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्तों की सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में उपांतरित कर दिया है।

13. उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, अभियुक्त-अपीलकर्ता इस अपील में हमारे समक्ष हैं।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान न्यायमित्र ने अपनी दलीलें केवल सजा के सवाल तक ही सीमित रखी। उन्होंने कहा कि न तो अपीलकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास है और न ही वे कठोर अपराधी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता मध्यम आयु के हैं और उनका एक परिवार और वृद्ध माता-पिता-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 हैं और उन्हें मौत की सजा देने से उक्त आश्रितों पर कहर टूट पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं के सुधार की संभावना है और उन्हें उनके जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनके आगे काफी लंबा जीवन है।

15. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को उचित ठहराया है।

16. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गहनता से विचार किया है। हमने निचली अदालतों के निर्णयों और आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

17. मृत्युदंड देना एक गंभीर शैक्षणिक और न्यायिक बहस का विषय रहा है, ताकि इस शक्ति के प्रयोग के लिए एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत आधार को समझा जा सके और इसके प्रयोग को नियंत्रित करने वाले ठोस न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित किया जा सके। इस संबंध में जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एससीसी 20 और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले , मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले , ऐसे प्रमुख मामले हैं जिनमें इस न्यायालय द्वारा सजा के मामले में कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं। इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में तैयार किए गए व्यापक सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि न्यायालय में निहित विवेक अनियंत्रित न हो।

18. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में "दुर्लभ में से दुर्लभतम" मामले के सिद्धांत को विकसित किया है और मामले में गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों को रेखांकित करने और फिर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोनों को संतुलित करने के माध्यम से इसका परीक्षण किया है। एक आदर्श के रूप में, सजा नीति का सबसे का महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र विचार करना और ऐसी सजा का प्राविधान प्निकालना है जो अभियुक्त के जुर्म के लिए सबसे उपयुक्त और तर्कसंगत हो। न्यायालय के लिए किसी एक शीर्षक के तहत किसी एक वर्ग के संदर्भ में सजा की मात्रा तय करना और अन्य शीर्षकों के तहत वर्गों को पूरी तरह से अनदेखा करना उचित नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, जो आवश्यक है वह केवल इन परिस्थितियों को अलग-अलग डिब्बों में रखकर उनका संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि उनके संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को अपने दिमाग में रखना आपेक्षित है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रशासित किया जा सके जैसा कि धारा 354(3) संहिता के तहत प्रभावी और सार्थक तर्क की परिकल्पना की गई है। इस न्यायालय के क्रमिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षक चुने गए हैं:

“गंभीर परिस्थितियाँ:

1. ऐसे अपराध जो हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हों, जिनके लिए अभियुक्त को मृत्युदंड के लिए पूर्व में दोषसिद्धि का रिकॉर्ड हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध जिनके पास गंभीर हमलों और आपराधिक दोषसिद्धि का पर्याप्त इतिहास हो।

2. अपराध उस समय किया गया जब अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध को करने में लगा हुआ था।

3. यह अपराध आम जनता में भय का माहौल पैदा करने के इरादे से किया गया था और यह अपराध सार्वजनिक स्थान पर किसी हथियार या उपकरण द्वारा किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था।

4. हत्या का अपराध फिरौती के लिए या धन या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया अपराध था।

5. किराये पर हत्याएं.

6. यह अपराध केवल लालच में किया गया था तथा इसमें पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और यातनाएं भी शामिल थीं।

7. अपराध किसी व्यक्ति द्वारा वैध हिरासत में रहते हुए किया गया था।

8. हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को विधिपूर्वक अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए किया गया था, जैसे गिरफ्तारी या हिरासत में लेकर खुद को या किसी अन्य को विधिपूर्वक कारावास में रखना। उदाहरण के लिए, हत्या उस व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का विधिपूर्वक निर्वहन किया था।

9. जब अपराध बहुत बड़ा हो जैसे पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करना।

10. जब पीड़ित निर्दोष, असहाय हो या व्यक्ति रिश्ते और सामाजिक मानदंडों के भरोसे पर निर्भर हो, जैसे कि कोई बच्चा, असहाय महिला, बेटी या भतीजी जो पिता/चाचा के साथ रहती हो और ऐसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा उस पर अपराध किया जाता है।

11. जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य से की जाती है जो पूर्णतः अनैतिकता और नीचता को दर्शाता हो।

12. जब बिना उकसावे के कोई निर्मम हत्या कर दी जाती है।

13. अपराध इतनी क्रूरता से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी झकझोर देता है।

गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियां:

1. जिस तरीके और परिस्थितियों में अपराध किया गया, उदाहरण के लिए, अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति या अत्यधिक उत्तेजना, जो सामान्य परिस्थितियों में इन सभी स्थितियों के विपरीत हो।

2. अभियुक्त की आयु एक प्रासंगिक विचार है, परंतु अपने आप में कोई निर्णायक कारक नहीं है।

3. अभियुक्त द्वारा पुनः अपराध न करने की संभावना तथा अभियुक्त के सुधार एवं पुनर्वास की संभावना।

4. अभियुक्त की स्थिति से पता चलता हो कि वह मानसिक रूप से विकृत था और इस बिगाड़ के कारण उसका आपराधिक आचरण परिस्थितियों की समझने की उपयुक्तता क्षीण हो गई थी।

5. वे परिस्थितियां जो सामान्य जीवन में ऐसे व्यवहार को संभव बनाती हैं तथा उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म दे सकती हैं, जैसे लगातार उत्पीड़न या वास्तव में मानवीय व्यवहार को ऐसे चरम पर पहुंचाना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को यह विश्वास हो कि अपराध करने में वह नैतिक रूप से उचित था।

6. जहां साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के बाद न्यायालय का यह मत है कि अपराध पूर्व-निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था तथा मृत्यु किसी अन्य अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप हुई थी तथा इसकी प्राथमिक अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप व्याख्या किए जाने की संभावना थी।

7. जहां अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित कर दिया है, फिर भी एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित है। सजा नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करते समय, न्यायालय को कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है और वे सिद्धांत मृत्यु दंड अधिरोपित करने या अन्यथा मृत्यु दण्ड के, उपरोक्त विचारों के अलावा ध्रुवतारा (लोडस्टार) हैं।

सिद्धांतें:

1. न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण लागू करना होगा कि क्या यह मृत्युदंड लगाने के लिए 'दुर्लभतम' मामला था।

2. न्यायालय की राय में, कोई अन्य सजा, अर्थात आजीवन कारावास, पूरी तरह से अपर्याप्त होगी और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी।

3. आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।

4. अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा अधिरोपित करने का विकल्प सावधानी से नहीं चुना जा सकता।

5. अपराध करने की विधि (योजनाबद्ध या अन्यथा) और तरीका (क्रूरता और अमानवीयता की सीमा, आदि) तथा ऐसे जघन्य अपराध के घटित होने की परिस्थितियां।"

19. हम खुद को याद दिलाते हैं कि "दुर्लभ में से दुर्लभतम" का सिद्धांत हत्याओं को जघन्य य कम जघन्य की श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता है। दोनों के बीच का अंतर सिद्धांतों की समानता मेंत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत तथ्य स्थितियों पर उनके लागू होने के दायरे में है। गंभीर सजाएँ अपराध की गंभीरता को दर्शाने, कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने, अपराध के लिए उचित दंड प्रदान करने, आपराधिक आचरण के लिए पर्याप्त निवारक प्रदान करने और समुदाय को आगे इसी तरह के आचरण से बचाने के लिए लगाई जाती हैं। यह तीन तह में उद्देश्य पूरा करता है- दंडात्मक, निवारक और सुरक्षात्मक।

20. वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पर चर्चा करने से पहले, हमें उन मामलों में सजा नीति पर इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों पर संक्षेप में विचार करना समीचीन होगा, जिनमें पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया हो और जहां अभियुक्त व्यक्ति उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि न होने और बच्चों या वृद्ध माता-पिता जैसे आश्रितों के अस्तित्व के आधार पर कम सजा की मांग करते हैं या सुधार और पुनर्वास की संभावना दर्शाते हुए सजा में छूट की मांग करते हैं।

21. अजीतसिंह हरनामसिंह गुजराल बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2011) 14 एससीसी 401 में , आरोपी को अपनी पत्नी, एक बेटे और दो बेटियों को जलाकर मारने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस न्यायालय ने मामले को दुर्लभ में से दुर्लभतम मानते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसने अभिनिर्धारित किया कि जीवित व्यक्तियों को जलाकर मारना एक भयानक कृत्य है, जिससे पीड़ित को असहनीय पीड़ा होती है। ट्रस्ट के पद पर बैठे व्यक्ति ने अपने परिवार की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाने के बजाय उन्हें क्रूर और बर्बर तरीके से मार डाला, जिससे सुधार या पुनर्वास की संभावना समाप्त हो गई।

22. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सत्तन @ सत्येंद्र एवं अन्य (2009) 4 एससीसी 736 में , अभियुक्त ने असहाय महिलाओं और बच्चों सहित परिवार के छह सदस्यों की क्रूर, शैतानी और पाशविक तरीके से हत्या की थी। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपराध अनुपात में बहुत बड़ा है और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि अभियुक्त के घृणित कृत्यों की पुकार केवल एक ही दण्ड की मांग करती है, और वह है मृत्युदंड।

23. गोविंदसामी बनाम तमिलनाडु राज्य , (1998) 4 एससीसी 531 में , अभियुक्त ने पांच हत्याएं कीं, जिसके लिए उसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। इस न्यायालय ने अपील में सजा की पुष्टि की और कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अपने चाचा के पूरे परिवार (कोयंबटूर में पढ़ाई कर रहे एक बेटे को छोड़कर) को उनकी संपत्ति हड़पने के लिए खत्म करने का क्रूर तरीका न्यायिक विवेक को झकझोरता है और इससे कम सजा उचित नहीं है।

24. अतबीर बनाम सरकार (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2010) 9 एससीसी 1, एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी ने पूरे परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए सौतेले रिश्तेदारों की हत्या की थी। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि आरोपी प्रासंगिक समय पर 25 वर्ष का था, लेकिन संपत्ति की अपनी भूख और लालसा की पूर्ति हेतु, उसने अपने ही (सौतेले) परिवार के सदस्यों को बंद दरवाजों के भीतर फंसाकर मार डाला, जब वे असहाय और निहत्थे थे और उन्हें भड़काने या विरोध करने का कोई अवसर नहीं था, उसने तीनों पीड़ितों के महत्वपूर्ण अंगों पर क्रूरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक 37 चाकू के वार किए, जब तक कि उनमें से प्रत्येक की मृत्यु नहीं हो गई; बर्बरता का ऐसा कृत्य मृत्युदंड से कम किसी सजा की मांग नहीं करता।

25. इसी तरह, अजय कुमार पाल बनाम झारखंड राज्य , (2010) 12 एससीसी 118 में, घरेलू नौकर ने खाने में कीटनाशक मिलाया था और घर के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया था और उसके बाद घर में आग लगा दी थी। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि बिना किसी अचानक उकसावे के तीन लोगों की हत्या और लगभग पूरे परिवार को खत्म कर देने के पीछे तैयारी और पूर्व नियोजित निष्पादन शामिल था और इसलिए मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए।

26. शोभित चमार बनाम बिहार राज्य , (1998) 3 एससीसी 455 में , दो आरोपी डकैती करने और दो नाबालिग बच्चों सहित एक परिवार के सभी छह पुरुष सदस्यों की हत्या करने के आरोप में इस न्यायालय के समक्ष थे। जबकि एक आरोपी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी विशिष्ट हथियार का उपयोग करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, वहीं दूसरे आरोपी के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग और उद्देश की उपस्थिति साबित की गई। इस न्यायालय ने यह मानते हुए कि पहले आरोपी का बाद वाले से कोई संबंध नहीं था, पहले वाले की मृत्युदंड की सजा को कम कर दिया और बाद वाले आरोपी की मृत्युदंड की पुष्टि की।

27. सुंदर सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य (2010) 10 एससीसी 611 में , घटना में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि एकमात्र जीवित महिला 70% जलने के बाद बच गई। इस मामले में, आरोपी पेट्रोल, तलवार, दो गोलियों के साथ पिस्तौल लेकर मौके पर अच्छी तरह से तैयार

होकर पहुंचा था, जो पूर्व-योजना का संकेत देता है। घर का दरवाजा बंद करके हत्या को क्रूर, विचित्र और शैतानी तरीके से अंजाम दिया गया था, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी वास्तव में कमरे के अंदर सभी लोगों को जलाने का इरादा रखता था। आरोपी के पक्ष में कोई भी कम करने वाली परिस्थिति न होने पर, मौत की सजा बरकरार रखी गई।

28. सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य , (2010) 9 एससीसी 567 में , तीन असहाय, निर्दोष, निहत्थे, छात्राओं की मौत हो गई थी और 20 को, सार्वजनिक प्रदर्शन में सड़क अवरोध करने में लगे एक गैरकानूनी समूह के तीन सदस्यों द्वारा बस को जलाने से, चोटें आईं थीं। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक था, जो पूर्व योजना, उकसावे की कमी और , निश्चित रूप से एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी समाज के सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए डरावना संकट और खतरा हो सकता था और इसलिए मृत्युदंड सबसे उपयुक्त सजा थी।

29. जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (2009) 9 एससीसी 495 में , अभियुक्त ने अपने ही घर में अपनी पत्नी और पांच बच्चों (1 से 16 वर्ष की आयु के) की हत्या कर दी थी। हत्याएं विशेष रूप से भयानक थीं क्योंकि हमलावर एक प्रभावशाली स्थिति में था और परिवार के मुखिया के रूप में विश्वास की स्थिति में था। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का संतुलन हमलावर के खिलाफ भारी था, जिससे यह एक दुर्लभतम मामला बन गया और इसलिए, मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की गई।

30. प्रजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य , (2008) 4 एससीसी 434 में , आरोपी, जो भोजन और भोजन के लिए 500/- रुपये की मामूली राशि के बदले में लगातार चार साल तक पेइंग गेस्ट के रूप में रहा था, ने 8, 15 और 16 वर्ष की आयु के तीन मासूम और असहाय बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, पिता (सूचक) और मां की हत्या करने का प्रयास किया था, जो हमले में कई चोटों के साथ बच गए थे। बच्चों के सोते समय इस जघन्य कृत्य को, बग़ैर किसी उकसावे या उद्देश के, कारित करने और मृतक के शरीर पर कई घाव होने के कारण, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि हत्याएं क्रूर, शैतानी, अमानवीय प्रकृति की थीं और अपराध की गंभीरता को देखते हुए माना कि आरोपी की मानसिकता को किसी भी सुधार के योग्य नहीं कहा जा सकता और उसे मौत की सजा दी गई।

31. राम सिंह बनाम सोनिया , (2007) 3 एससीसी 1 में ऐसे तथ्य शामिल थे, जहां एक विवाहित जोड़े ने पत्नी के पिता, माता, बहन, सौतेले भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसमें 45 दिन, 2 ½ साल और 4 साल के तीन बच्चे शामिल थे, जिसका मकसद उसके पिता को उसके सौतेले भाई और उसके परिवार को संपत्ति देने से रोकना था। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि चूंकि हत्याएं पीड़ितों की नींद में क्रूर, पूर्व नियोजित और

शैतानी तरीके से , पीड़ित की ओर से किसी भी तरह के उकसावे के बिना की गई थीं, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरोपी व्यक्तियों में कोई बुनियादी मानवता नहीं थी और उनमें किसी भी सुधार के लिए अनुकूल मानसिकता या मानसिकता का अभाव था और इसलिए, यह मामला मृत्युदंड अधिरोपित करन के लिए दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।

32. होलीराम बोरदोली बनाम असम राज्य , (2005) 3 एससीसी 793 में , आरोपी व्यक्ति लाठी और अन्य हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर आए और उक्त घर की बांस की दीवार पर पत्थर फेंकने लगे। इसके बाद, उन्होंने घर को बाहर से बंद कर दिया और घर में आग लगा दी। जब पीड़ित का बेटा, बेटी और पत्नी किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, तो आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर से आग में फेंक दिया। इसके बाद, पीड़ित के घर से कुछ दूरी पर दूसरे घर में रहने वाले बड़े भाई को पकड़ लिया गया और उसे आरोपी के आंगन में घसीट कर लाया गया, जहां आरोपियों ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। यह माना गया कि किसी मजबूत प्रेरक और उकसावे के अभाव में भी, गांव में आरोपी के वर्चस्व को चुनौती देने से दूसरों को रोकने के लिए अपराध को सबसे बर्बर तरीके से अंजाम दिया गया था और इसलिए, मौत की सजा देना उचित पाया गया।

33. सैबन्ना बनाम कर्नाटक राज्य , (2005) 4 एससीसी 165 में , अभियुक्त ने अपनी दूसरी पत्नी और लगभग एक वर्ष की बेटी की हत्या की पूर्व-योजना बनाई थी, जब पीड़ित सो रहे थे, उसने शिकार करने वाले चाकू (जाम्बिया) का उपयोग किया, जो आमतौर पर उस समय घर में उपलब्ध नहीं होता, जब वह पैरोल पर बाहर था। न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में किसी भी परिस्थिति को कम करने के लिए कोई उचित कारण नहीं पाया, इस प्रकार मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में रखा और मृत्युदंड अधिरोपण को उचित ठहराया।

34. करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , (2005) 6 एससीसी 342 में, दो अपीलकर्ताओं ने संपत्ति विवाद में उनके साथ शामिल तीन मृतक व्यक्तियों का पीछा किया और उन्हें कुल्हाड़ियों और अन्य हथियारों से बर्बर तरीके से काट डाला। इसके बाद, वे उनके घर में घुस गए और पूरे परिवार को निस्त व नाबूद करने के इरादे से दो बच्चों की हत्या कर दी। न्यायालय ने माना कि यह 'दुर्लभतम' मामला था और अपीलकर्ताओं को मौत की सजा से दण्डित किया।

35. राजस्थान राज्य बनाम खेराज राम , (2003) 8 एससीसी 224 दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां आरोपी ने जानबूझकर अपने दो मासूम बच्चों, पत्नी और साले की हत्या की योजना बनाई और उन्हें रात में सोते समय मार डाला। न्यायालय ने पाया कि इस तरह के जघन्य कृत्य के लिए उसे कोई पछतावा नहीं था, जिसका संकेत इस बात से मिलता है कि वह कृत्य करने के बाद कितनी शांति से "चिलम" पी रहा था। घटना पूर्व नियोजित थी, घटनाओं और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला का विश्लेषण करने के बाद, अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि

आरोपी ने सबसे क्रूर और अमानवीय तरीके से काम किया और हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही और नृशंस तरीके से की गई।

36. ओम प्रकाश बनाम उत्तरांचल राज्य , (2003) 1 एससीसी 648 में , अभियुक्त एक घरेलू नौकर था जिसने अपने नियोक्ता के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी और चौथे सदस्य को मारने का प्रयास किया ताकि उसकी सेवा समाप्त करने के निर्णय का बदला लिया जा सके और डकैती की जा सके। मृत्युदंड को बरकरार रखा गया।

37. प्रवीण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य , (2003) 12 एससीसी 199 में , अभियुक्त को पीड़ितों में से एक, उसकी चाची ने अपने बड़े परिवार के बावजूद घर में रहने के लिए रखा था, और उसने उसे एक दर्जी के रूप में ईमानदारी से जीवनयापन करने का अवसर दिया। अभियुक्त ने सोते समय एक छोटे बच्चे सहित रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की पूर्व-नियोजित, निर्मम हत्याएं कीं। अपराध करने के बाद अभियुक्त लगभग चार वर्षों तक न्यायिक हिरासत से फरार रहा, जो दर्शाता है कि किसी भी पश्चाताप या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। इस न्यायालय ने माना है कि मृत्युदंड की कठोर सजा उचित थी।

38. सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , (2001) 3 एससीसी 673 में , अभियुक्त के भाई और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, की रात में गहरी नींद में सोते समय कुल्हाड़ी और चाकू से जमीन के एक टुकड़े के लिए उनके सिर और गर्दन काटकर नृशंस हत्या करना एक विचित्र और शैतानी कृत्य माना गया, जहां मृत्युदंड के अलावा कोई अन्य सजा अनुचित थी।

39. रामदेव चौहान बनाम असम राज्य, (2000) 7 एससीसी 455 में, अभियुक्त ने चोरी करने के इरादे से एक घर के चार सदस्यों की पूर्व-नियोजित निर्मम हत्या की, जिसमें दो असहाय महिलाएँ और ढाई साल का एक बच्चा शामिल था। अभियुक्त ने घर में घुसने पर घर के एक अन्य सदस्य, एक बूढ़ी महिला और एक पड़ोसी पर कुदाल से हमला भी किया। न्यायालय ने माना कि अपराध करने के समय अभियुक्त की कम उम्र (22 वर्ष) कोई सज़ा कम करने वाली परिस्थिति नहीं थी, और मृत्युदंड एक न्यायोचित और उचित सजा थी।

40. नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2000) 8 एससीसी 457 में , एक गर्भवती महिला और लगभग 2 वर्ष की आयु के दो बच्चों सहित पांच महिलाओं की पूर्व नियोजित, सुनियोजित, निर्मम हत्या की गई थी, जो सभी एक घर में रहती थीं, ताकि घर में दो आरोपियों द्वारा की गई डकैती और चोरी के सभी सबूत मिटा दिए जाएं, उस समय जब घर के पुरुष सदस्य बाहर थे। यह न्यायालय निर्धारित किया कि आरोपी व्यक्तियों की कम उम्र (20-22 वर्ष) सज़ा कम करने वाली परिस्थिति के रूप में काम नहीं कर सकती।

41. स्टेट ऑफ यूपी बनाम धर्मेंद्र सिंह , (1999) 8 एससीसी 325 में , 5 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति, 32 साल की एक महिला, 12 साल के दो लड़के और 15 साल की एक लड़की, रात में जब वे सो रहे थे, तो उन्हें कई चोटें पहुँचाकर बदला लेने के लिए हत्या कर दी गई थी। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस जघन्य और बर्बर हत्या को दुर्लभतम मामला कहा जा सकता है और इस तरह के शैतानी कृत्य के लिए मृत्युदंड उचित है।

42. रॉनी बनाम महाराष्ट्र राज्य , (1998) 3 एससीसी 625 में , आरोपी मृतक का भतीजा था, और इस रिश्ते के कारण उसने अपने और अपने दोस्तों के लिए घर के अंदर प्रवेश पाया। पीड़ित निहत्थे थे और अपराध लाभ के लिए किया गया था, यानी मृतक परिवार के कीमती सामान को लूटने के लिए। इसके बाद आरोपी ने तीनों सदस्यों की हत्या कर दी और फिर उस महिला के साथ बलात्कार किया जो उसके मामा की पत्नी थी और उसकी माँ जितनी ही उम्र की थी। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किए गए थे क्योंकि सब कुछ पूर्व नियोजित तरीके से किया गया था, और इसलिए मृत्युदंड को बरकरार रखा गया।

43. सुरजा राम बनाम राजस्थान राज्य , (1996) 6 एससीसी 271 एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलकर्ता और मृतक के बीच विवाद केवल आवासीय परिसर के एक हिस्से पर कांटेदार बाड़ लगाने से संबंधित था। अपीलकर्ता ने उसी के अनुसरण में अपने भाई, अपने दो नाबालिग बेटों और एक वृद्ध चाची की गर्दन कस्सी से काटकर हत्या कर दी थी, जब वे सभी सो रहे थे और अपने भाई की पत्नी और बेटी की हत्या करने का भी प्रयास किया था, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल होने के साथ बच गईं। मृत्युदंड को उचित ठहराया गया।

44. हरेश मोहनदास राजपूत बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2011) 12 एससीसी 56, रवींद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य , (2011) 2 एससीसी 490, सुरेंद्र कोली बनाम यूपी राज्य और अन्य, (2011) 4 एससीसी 80 और सुदाम @ राहुल कनीराम जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2011) 7 एससीसी 125 में, इस न्यायालय ने राय व्यक्त की है कि मृत्युदंड तब दिया जाना चाहिए जब पीड़ित मासूम बच्चे और असहाय महिलाएं हों, खासकर जब अपराध सबसे क्रूर और अमानवीय तरीके से किया गया हो जो अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी और विद्रोही हो।

45. अपराध परीक्षण, अपराधी परीक्षण और "दुर्लभ में से दुर्लभतम" परीक्षण इस न्यायालय द्वारा विकसित कुछ परीक्षण हैं। परीक्षण मूल रूप से यह जांचते हैं कि क्या समाज ऐसे अपराधों से घृणा करता है और क्या ऐसे अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोरते हैं और

समुदाय के तीव्र और अत्यधिक आक्रोश को आकर्षित करते हैं। पीड़ित पर सुनियोजित हमला करके उसे नष्ट करने की योजना को पूर्व-योजनाबद्ध और सावधानीपूर्वक निष्पादित करने वाले मामलों को मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त माना गया है। जहां निर्दोष नाबालिग बच्चों, निहत्थे व्यक्तियों, असहाय महिलाओं और वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों को प्रभावशाली स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा क्रूर तरीके से मार दिया गया हो, और जहां घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए जघन्य हत्या के बाद, अभियुक्त ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया हो, उन मामलों में मृत्युदंड की सज़ा अधिरोपित की गयी है। जहां यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त एक कठोर अपराधी है और उसने शैतानी तरीके से हत्या की है और जहां यह महसूस किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का सुधार और पुनर्वास असंभव है और अगर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता है, तो वह समाज के लिए खतरा बन जाएगा, इस न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि करने में संकोच नहीं किया है। कई बार, क्रूर हत्या के मामलों में, जिसमें अनैतिकता और लापरवाही का प्रदर्शन किया गया है, इस न्यायालय ने उन लोगों को एक निवारक संदेश भेजने की आवश्यकता को स्वीकार किया है जो भविष्य में ऐसे अपराध कर सकते हैं। क्रूर हत्याओं से जुड़े कुछ मामलों में, अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ-साथ न्याय के लिए समाज की पुकार पर भी इस न्यायालय ने ध्यान दिया है। मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करते समय, इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले में सजा की अपरिवर्तनीय प्रकृति को समझते हुए, इस मुद्दे पर कई बार विचार किया है। इस न्यायालय ने हमेशा बच्चन सिंह मामले (सुप्रा-ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखा है कि न्यायाधीशों को कभी भी रक्त का प्यासा नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हित में जहाँ भी आवश्यक हो, दुर्लभतम मामले की पहचान करनी चाहिए और मृत्युदंड के कठोर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।

46. उक्त पहलू पर इस न्यायालय के निर्णयों पर गौर करने के बाद, हम इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करेंगे, जिन पर विद्वान न्यायमित्र ने भरोसा जताया है।

47. विद्वान न्यायमित्र ने सुनील दत्त शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) (2014) 4 एससीसी 375 के मामले पर भरोसा किया है, ताकि यह बात सामने आ सके कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की कमी और आश्रितों की मौजूदगी को कम सजा देने के लिए कम सजा देने वाली परिस्थितियों के रूप में माना जाएगा। उक्त मामले में, आरोपी-पति को शादी के दो साल के भीतर पत्नी की दहेज हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस न्यायालय ने उसकी सजा को दस साल के कठोर कारावास में उपांतरित किया, यह देखते हुए कि अपराध करने के समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी और उसका एक छोटा बेटा था। हमारे विचार से, इस न्यायालय द्वारा आरोपी-पति की सजा को उपांतरित करते समय विचार की गई उपरोक्त कम करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं होंगी। सबसे पहले, उक्त मामले में इस विनिश्चय

के लिए कि क्या किया गया अपराध "दुर्लभ में से का दुर्लभतम" था, कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों के संतुलन शीट पर अभियुक्त की दण्डयता परीक्षण शामिल नहीं थी।

48. बिरजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2014) 3 एससीसी 421 के मामले में , इस न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दोबारा अपराध न करने की संभावना और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना के प्रश्न पर विचार किया है। यह मामला एक वर्ष की आयु के बच्चे की हत्या से संबंधित है, जो अपने दादा की गोद में था, जब अभियुक्त ने देशी पिस्तौल से उसके सिर में गोली मार दी, जिसके लिए अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने पुष्टि की और इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर 20 वर्ष के कठोर कारावास में संशोधित किया गया कि यद्यपि अभियुक्त व्यक्ति का आपराधिक इतिहास था, लेकिन अपराध की भयावहता ऐसी नहीं थी कि उसे "दुर्लभ में से दुर्लभतम" मामलों की श्रेणी में रखा जा सके। विद्वान न्यायमित्र ने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए निर्णय के पैराग्राफ 20 पर अवलम्बन किया है कि सजा नीति के अनुसार न्यायालय को अभियुक्त द्वारा दोबारा अपराध करने और मुक्त होने पर समाज के लिए खतरा बनने की संभावना को संतुलित करना आपेक्षित है।

49. विद्वान न्यायमित्र महेश धनजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2014) 4 एससीसी 292 में इस न्यायालय के निर्णय से बल प्राप्त करना चाहते हैं । उक्त निर्णय में , इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि चूंकि आपराधिक मामले का मूल तथ्यों में निहित है और प्रत्येक मामले में तथ्य अलग-अलग हैं, इसलिए ऐसा कोई सूत्र नहीं बनाया जा सकता है जिसके द्वारा मामलों को दुर्लभतम या अन्यथा के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। उक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की संभावना “निर्विवाद रूप से समाप्त नहीं हुई थी”, इसलिए मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था और इसलिए, सजा को कम कर दिया गया।

50. सुशील शर्मा बनाम दिल्ली राज्य , (2014) 4 एससीसी 317 में , रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य ने यह स्थिति स्थापित की थी कि यद्यपि अभियुक्त-अपीलकर्ता और मृतक दोनों विवाहित थे और साथ रह रहे थे, लेकिन उनके संबंध तनावपूर्ण थे क्योंकि अपीलकर्ता को उसकी निष्ठा पर संदेह था और हत्या इसी अधिकार-बोध का परिणाम थी। इस न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह एक पुष्ट अपराधी नहीं था। इस न्यायालय ने पाया कि राज्य द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह संकेत मिले कि वह भविष्य में ऐसे अपराध करने की संभावना रखता है और अपीलकर्ता अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र है जो वृद्ध और अशक्त हैं, इसलिए उसके पक्ष में परिस्थितियाँ कम करने वाली थीं और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

51. अनिल @ एंथनी अरिकस्वामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2014) 4 एससीसी 69 एक ऐसा मामला था जिसमें आरोपी एक दबंग स्थिति में था और पीड़ित एक अकेला मासूम लड़का था। इस न्यायालय ने अपराध परीक्षण, आपराधिक परीक्षण लागू किया और "दुर्लभ में से दुर्लभतम" सिद्धांत के प्रकाश में कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों का भी मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी जो न केवल न्यायिक विवेक बल्कि समाज के विवेक को भी झकझोरती है। इस न्यायालय ने माना कि आरोपी का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 42 वर्ष का है, साथ ही यह तथ्य भी है कि लड़का स्वेच्छा से आरोपी के पास आया था और उसका अपहरण नहीं हुआ था। इसके अलावा, चूंकि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और आम तौर पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मृत्युदंड शायद ही कभी दिया जाता है, इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि पहले से काटी गई सजा के अलावा बिना किसी छूट के 30 साल की अतिरिक्त अवधि की कैद पर्याप्त सजा होगी।

52. महाराष्ट्र राज्य बनाम गोरक्ष अंबाजी अडसुल , (2011) 7 एससीसी 437, आरोपी व्यक्ति की भूमि और अन्य संपत्ति के विभाजन और शेयरों के आवंटन की मांग के विरोध के कारण तीन निर्दोष परिवार के सदस्यों की क्रूर और शैतानी हत्या से उत्पन्न हुआ। इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि अपराध करने की परिस्थितियाँ और तरीक़े न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को इस हद तक झकझोरना चाहिए कि एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष मृत्युदंड देना होता हो। इस न्यायालय ने विचार किया कि यद्यपि अपराध करने का तरीका निंदनीय था, लेकिन परिचर परिस्थितियाँ और तथ्य कि (i) आरोपी ने अपनी पत्नी को भी शामक/जहरीले पदार्थ वाली मिठाई खिलाई, यह दर्शाता है कि संपत्ति के लिए उसकी हताशा और संभवतः लालच ने ज्वालामुखीय आयाम प्राप्त कर लिए थे; (ii) परिवार के सदस्यों के बीच कटुता की तीव्रता ने बदला लेने और प्रतिशोध के विचारों को बढ़ा दिया था और (iii) अपराध के घटित होने में उसकी पत्नी द्वारा लगातार झिड़कने को कम करने वाली परिस्थिति माना गया और परिणामस्वरूप, यह माना गया कि किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा क्योंकि यह मामला 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में नहीं आता है।,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53. ब्रजेंद्रसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (2012) 4 एससीसी 289 में , एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर अपने पड़ोसी के साथ अवैध संबंध होने का संदेह था, उसने अपने तीन छोटे बच्चों को मार डाला जो सो रहे थे, अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी। इस न्यायालय ने विचार किया कि घटना क्षणिक आवेश में हुई, पहले से सोची समझी नहीं थी और आरोपी ने अपराध करने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया। और सभी परिस्थितियाँ पर एक साथ विचार करने के बाद यह नतीजा निकाला कि अपराध करने के समय आरोपी में

मानसिक असंतुलन के अस्तित्व का मशाविरा देती हैं और इसलिए, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया।

54. विद्वान न्यायमित्र द्वारा अवलम्बित केस कानूनों पर विचार करने के बाद, अब हम इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर वापस लौटेंगे। वर्तमान मामले में, अपराध के समय, स्थान और तरीके अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के उद्देश्य की ओर इंगित करती हैं। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने बिना किसी उकसावे के कुछ पास-बुक, धन और अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए अपने ही सगे-संबंधियों की बेरहमी और क्रमिक रूप से ज़बह कर दिया। उन्होंने ऐसा दिन चुना जब पीडब्लू-1 सहित गाँव के अधिकांश निवासी बगल के गाँव में एक शादी में शामिल होने गए थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका घृणित कार्य किसी विरोध से बाधित न हो। सबसे पहले, वे मस्जिद में घुसे जहाँ मृतक नमाज़ पढ़ रहा था और उस पर तलवार और भुजाली से अंधाधुंध हमला किया। इसके बाद, वे उसके घर की ओर बढ़े और मृतक के दो बेटों- गुरफान खान और इमरान खान की हत्या कर दी, जो अपने पिता की मदद के लिए पुकार सुनकर घर से बाहर आए थे। अपने पूर्व-निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध, अभियुक्त-अपीलकर्ता मृतक के घर में जबरन घुस गए और कसुमन बीबी और उनके चार नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी, जिसमें एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी शामिल था। तलवार, टांगी, भुजाली और कुदाल जैसे धारदार हथियारों से लैस होकर, जिस तेजी से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने अपने परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की, उससे उनके कृत्य को पूर्व नियोजित श्रेणी में वर्गीकृत करता है और जिस निर्दयी तरीके से इस क्रूर योजना को अंजाम दिया गया, उसे प्रदर्शित करता है।

55. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने ज़मीन और पैसे की अपनी अतृप्त प्यास में आठ निर्दोष जानों को तहस नहस कर दिया। भाइयों के बीच के कटु रिश्तों ने उन्हें हनीफ़ खान के परिवार को खत्म करने तक ही नहीं रोका, जिसके चलते उनके दो छोटे बेटों, उनकी पत्नी और उनके चार नाबालिग बेटों की हत्या कर दी गई, जिनकी उम्र क्रमशः 5, 8, 12 और 18 वर्ष थी, जिनमें से एक शारीरिक रूप से विकलांग था। उनके पश्चाताप की कमी इस बात से झलकती है कि उन्होंने घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, अगर उन्होंने पुलिस को सूचित करने की हिम्मत की।

56. एक बूढ़ी माँ की दुर्दशा को समझना दिल दहला देने वाला है, जिसने अपने बेटों को अपने भाई और उसके परिवार को मारते हुए देखा। पीडब्लू-2, एकमात्र चश्मदीद गवाह, दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की माँ होने के बावजूद अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और उनके खिलाफ गवाही दी है। उसकी गवाही को धारा 164 के तहत उसके बयान और घटना के अन्य गवाहों द्वारा पुष्ट किया गया है। रिकॉर्ड से कोई भी ऐसा परोक्ष उद्देश्य सामने नहीं आया है, जिससे उसके बयान में उसके अपने बेटों के खिलाफ संदेह पैदा हो। आमतौर पर एक

भाई, एक बहन या एक माता-पिता जिसने अपराध होते देखा है, जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान से अदालत में मुकर सकता है। यह स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से होता है, न कि अभियुक्त व्यक्ति के अनुनय से। गवाह का अभियुक्त की निर्दोषता में स्पष्ट हित होता है और इसलिए वह उसे अपराध से बचाने की कोशिश करता है। यहाँ, पीडब्लू-2 न केवल अभियोजन पक्ष की गवाही देकर आगे आई है, बल्कि अपने परिवार के मारे गए आधे हिस्से को न्याय दिलाने के अपने प्रयास में पारिवारिक संबंधों से भी अडिग रही है। अपराध के आकस्मिक पीड़ितों-मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को न्याय दिलाना न्यायालय का सर्वोच्च कर्तव्य होगा। इसलिए, उचित और तर्कसंगत सजा दिए जाने की आवश्यकता है। एक ओर, ऐसी सजा उन लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगी जो हत्या के दुख और भय से सबसे अधिक व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए हैं, दूसरी ओर यह पीड़ितों के अधिकारों के लक्ष्यों और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी होगी।

57. धनंजय चटर्जी @ धन्ना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , (1994) 2 एससीसी 220 में , इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी दिए गए मामले में सजा का माप अपराध की क्रूरता, अपराधी के आचरण और पीड़ित की असहाय और असुरक्षित स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, उचित दंड अधिरोपण वह तरीका है जिससे न्यायालय अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देते हैं और न्याय की मांग है कि न्यायालय को ऐसा दंड अधिरोपित करना चाहिए जो अपराध के प्रति जनता की घृणा को दर्शाता हो। इस न्यायालय ने उचित दंड अधिरोपित करने पर विचार करते समय अपराध के पीड़ितों और समाज के अधिकारों को देखने के न्यायालय के कर्तव्य पर प्रकाश डाला है।

58. रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य , (1979) 4 एससीसी 719 में इस न्यायालय ने भारत में पीड़ितों के अधिकार संरक्षण की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर दुख जताते हुए कहा कि "यह हमारे न्यायशास्त्र की कमजोरी है कि अपराध के पीड़ित और पीड़ितों के आश्रित कानून का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। वास्तव में, पीड़ित प्रतिपूर्ति अभी भी हमारे कानून का लुप्त बिंदु है। यह प्रणाली की कमी है, जिसे विधायिका द्वारा सुधारा जाना चाहिए।"

59. इन अशांत सामाजिक समय के संदर्भ में, हम पीड़ितों की वास्तविक पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। यह एक तथ्य है कि भारत में आपराधिक न्याय सुधार और नागरिक अधिकार आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से केवल अभियुक्तों के अधिकारों पर ही ध्यान दिया है और पीड़ितों पर अपराध के प्रभाव को उतने हद तक संबोधित करने की उपेक्षा की है। केवल अपराध के पीड़ितों को ही सुखदायक मरहम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परिवार, सह-पीड़ितों और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर समाज जैसे आकस्मिक पीड़ितों को भी इसकी आवश्यकता है। न्यायपालिका का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह पीड़ीतों के अधिकारों की भी उतनी ही लगन से रक्षा करे जितनी लगन से अपराधियों की।

60. महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (1987) 3 एससीसी 80 में , इस न्यायालय ने उचित दंड अधिरोपित करने में नरम दृष्टिकोण अपनाने की निंदा की है और कहा है कि स्पष्ट साक्ष्य और शैतानी कृत्यों का सामना करने पर अभियुक्त को कानून की कठोर सजा से बचने की अनुमति देना न्याय का मज़ाक होगा। इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि कम सजा देने से इस देश की न्याय प्रणाली संदिग्ध हो जाएगी, जिसके कारण आम आदमी का न्यायालयों पर से विश्वास उठ जाएगा। इस न्यायालय ने ऐसे मामलों में कठोरतम दंड को मंजूरी दी है, जिसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अभियुक्त समझता है, और समाज सुधारात्मक शब्दजाल की तुलना में निवारण के भाषा की अधिक सराहना करता है।

61. सेवका पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य , (1991) 3 एससीसी 471 में, इस न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून की प्रभावकारिता में जनता के विश्वास को कम करेगी। समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं सकता है और इसलिए, प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया या किया गया, आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे।

62. इस मामले में, अपीलकर्ता, जिन गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों में, शरण चाहते हैं, वह हमें आश्वस्त करने में विफल रही है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं की आयु कोई प्रासंगिक परिस्थिति नहीं है। अपराध करने के समय वे मध्यम आयु के थे और उनकी क्षमताएँ अपने कार्यों के निहितार्थों को समझने के लिए पर्याप्त एंव परिपक्व थीं और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा ये क्षमा किए जाने के मुस्तहक़ नहीं हैं। दूसरे, यह परिस्थिति कि अपीलकर्ताओं का एक परिवार है और उनके वृद्ध माता-पिता आदि हैं, हमें आश्वस्त नहीं करती है, विशेष रूप से इस तथ्य की रौशनी में कि माता-पिता ने स्वयं अपीलकर्ता के अपने भाई के परिवार को उखाड़ फेंकने के कृत्य और खून के रिश्ते के संबंधों का पास रखने में उनकी पूर्ण उपेक्षा के विरुद्ध गवाही दी है। तीसरे, केवल यह तथ्य कि कम आयु के कुछ अभियुक्तों को मृत्युदंड से कम सजा दी गई है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से परिवार के असहाय सदस्यों, जिनमें कम उम्र के बच्चे और चलने-फिरने में अक्षम बच्चे शामिल हैं, पर अपराध किया गया और आरोपी-अपीलकर्ताओं ने पूरे परिवार को खत्म करने की जो योजना बनाई, वह मौत की सजा दिए जाने को उचित ठहराती है। अंत में, अपराध करने का तरीका, मृतक हनीफ खान के छोटे और मासूम बच्चों की संपत्ति के लिए हत्या और अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध करने के दिन का चुनाव, अपीलकर्ताओं के सुधार और उनके संभावित पुनर्वास की संभावना के संबंध में दिए गए तर्क को कमज़ोर तकरता है।

63. हमारे विचारयुक्त राय में, "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" तब वजूद में आता है जब अभियुक्त समाज में सद्भाव के लिए संकट, खतरा और विरोधात्मक हो। खास तौर पर ऐसे मामलों में

जहां अभियुक्त उकसावे, क्षणिक आवेश में कृत नहीं करता, बल्कि जानबूझकर योजनाबद्ध अपराध को अंजाम देता है, बावजूद इसके कि उसे अपने कृत्य के संभावित परिणाम के नतीजे की समझ हो, ऐसे में मृत्युदंड सबसे उचित सजा हो सकती है।

हम इस बात से बा-ख़बर हैं कि अपराधिक क़ानून अपेक्षा करता है कि सज़ा देने में प्रत्येक सज़ा के मुस्तहिक़ को अपराधिक आचरण के ' जुर्म में तनासुब के नियम' (रुल औफ़ प्रोपोर्शनलिटि) का सख़्ती से पालन किया जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए कि उचित सज़ा न दिए जाने पर समाज पर इसका क्या अस़र पड़ेगा, कथित सिध्दांत जिसे 'जस्ट डिज़र्ट' की संज्ञा दी गई है को ध्यान में रखते हुए इस घिनौने कृत, जिस में चार मासूम नाबालिगों और एक शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे सहित आठ लोगों को ज़बह करना, जिस से एक पूरा ख़ानदान नीस्त व नाबूद हो गया को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने से खुद को रोक नहीं सकते कि अपीलकर्ता के अपराध की नीचता के लिए मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जा सकती।

64. परिणामतः, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कारणों और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की मृत्युदंड की सजा के अधिरोपण और पुष्टिकरण से सहमत हैं। हमारे सुविचारित राय में , निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है।

65. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

66. रजिस्ट्री को विद्वान न्यायमित्र को 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया गया।

राजेंद्र प्रसाद अपील ख़ारिज

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी (पैनल अनुवादक) के द्वारा किया गया।